(2) Scientist C or Scientist D or Group A Officer	
equivalent to Scientist C - Member; and	
(3) One Group B Gazetted Officer from the	
department (India MeteorologicalDepartment) -	
Member.	

[F. No. A-12035/2/09-E (3) (RR)(Driver)/SFS] V.K. SONI, Dy. Director General (Administration)

जनजातीय कार्य मंत्रालय (राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग)

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2022

- सा.का.नि. 165.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में मल्टी टास्क स्टाफ (एमटीएस) (समूह 'ग' पद) के पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात : -
- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) इन नियमों को 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग', मल्टी टास्क स्टाफ (एमटीएस) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 2022 कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- 2. प्रारंभिक गठन (1) इन नियमों के लागू होने से ठीक पहले नियमित आधार पर मल्टी-टास्किंग स्टाफ का पद धारण करने वाले कर्मियों को इन नियमों के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया गया समझा जाएगा।
- (2) इन नियमों के प्रारंभ होने से ठीक पहले ग्रेड में ऊपर निर्दिष्ट पदधारियों की नियमित निरंतर सेवा को परिवीक्षा, वरिष्ठता, पदोन्नति के लिए अर्हक सेवा, स्थायीकरण और सेवा में पेंशन के प्रयोजनों के लिए गिना जाएगा।
- 3. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर (लेवल) उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और तत्संबंधी संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ सलंग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा तथा अर्हताएं आदि उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, अर्हताएं (योग्यताएं) और उससे संबंधित अन्य मामले वे होंगे जो उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. निर्रहता (अपात्रता) कोई भी व्यक्ति -
- (क) जिसने ऐसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसकी पत्नी/पति जीवित है, अथवा
- (ख) जिसकी पत्नी/पित जीवित है, ने किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, उपरोक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, यदि संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह वाले अन्य पक्ष के लिए लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के तहत अनुज्ञेय है और उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा करने के अन्य कारण हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने में छूट प्रदान कर सकती है।

- 6. शिथिल करने की शक्ति जहां केंद्रीय सरकार का यह विचार (राय) है कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेशानुसार, कारणों को लिखित में दर्ज करते हुए किसी भी वर्ग या श्रेणी के व्यक्तियों के संबंध में इन नियमों के किसी भी प्रावधान को शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति (अपवाद) इन नियमों में से कोई भी नियम इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले आरक्षण, आय्-सीमा में छूट और अन्य रियायतों को प्रभावित नहीं करेगा।

अनुसूची

पद का नाम:	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में	क्या यह	सीधी भर्ती के लिए आयु - सीमा
			स्तर	चयन पद है	
				या गैर-	
				चयन पद	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु-कार्य	29* (2022)	सामान्य केंद्रीय	लेवल-1 (रु.	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच (केंद्र
कार्मिक	*कार्यभार के	सेवा,	18000/		सरकार द्वारा जारी निर्देशों या आदेशों के
(मल्टी टास्क	आधार पर	समूह 'ग',	56900/-)		अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए
स्टाफ)	परिवर्तनाधीन	अराजपत्रित,			चालीस वर्ष तक की छूट)
(एमटीएस)		गैर-			नोट 1: आयु सीमा निर्धारित करने के लिए
		अनुसचिवीय'			महत्वपूर्ण तिथि भारत में उम्मीदवारों से
					आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी
					(और असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश,
					मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा,
					सिक्किम, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का
					लद्दाख डिवीजन लाहौल और स्पीति जिला
					और हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले का पांगी
					सब डिवीजन, अंडमान और निकोबार द्वीप
					समूह और लक्षद्वीप में उम्मीदवारों के लिए
					निर्धारित ये अंतिम तिथि नहीं होगी।
					नोट 2: आयु सीमा निर्धारित करने की
					निर्णायक तिथि कर्मचारी चयन आयोग
					द्वारा विज्ञापित के अनुसार होगी।

सीधी भर्ती के लिए अपेक्षित शैक्षिक	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित आयु	परिवीक्षा अवधि, यदि कोई हो।
और अन्य योग्यताएं।	और शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले	•
·	में लागू होगी।	
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा	लागू नहीं	सीधी भर्ती के लिए दो साल।
1		

· ·	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में, वह ग्रेड जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।
प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों से भरी	` `
जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता बताएं।	
(10)	(11)
सीधी भर्ती द्वारा-	लागू नहीं।
नोट: पदधारियों के प्रतिनियुक्ति या लंबी बीमारी या	
अध्ययन अवकाश या अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या	
उससे लंबी अवधि के लिए दूर रहने के कारण हुई रिक्तियों	
को केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य प्रशासनों	
के अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति पर भरा जा सकता है:	
(क) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद	

धारण करने वाले; तथा
(ख) कॉलम 7 के तहत सीधी भर्तियों के लिए निर्धारित
योग्यता और अनुभव रखने वाले
नोट 1: केंद्र सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या
विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य
एक्स-कैडर पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित
प्रतिनियुक्ति की अवधि सामान्य रूप से तीन वर्ष से अधिक
नहीं होगी।
नोट 2: प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) द्वारा
नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने
की अंतिम तिथि को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति मौजूद है, तो उसकी	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से
संरचना क्या है।	परामर्श किया जा सकता है।
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण पर	लागू नहीं।
विचार करने के लिए), की संरचना: -	
i. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन), राष्ट्रीय	
अनुसूचित जनजाति आयोग - अध्यक्ष;	
ii. अवर सचिव (स्थापना) राष्ट्रीय अनुसूचित	
जनजाति आयोग- सदस्य;	
iii. उप निदेशक, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति	
आयोग- सदस्य।	

[फा.सं. 20025/35/2021-एनसीएसटी] अरविन्द मुदगल, अवर सचिव

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(National commission for Scheduled Tribes)

New Delhi, the 1st November, 2022

- **G.S.R 165.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi-Tasking Staff (Group 'C' post) in the National Commission for Scheduled Tribes, namely: -
- **1. Short title and commencement.** (1) These rules may be called the National Commission for Scheduled Tribes, Multi-Tasking Staff (Group C) Recruitment Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Initial Constitution. -** (1) The personnel holding the post of Multi-Tasking Staff immediately before the commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed in accordance with the provisions of these rules.
- (2) The regular continuous service of personnel referred above in the grade immediately before the commencement of these rules shall count for the purpose of period of probation, seniority, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.
- **3. Number of posts, classification, level in pay matrix. -** The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **4. Method of recruitment, age limit, qualification etc.-** The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating to the said postshall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.
- **5. Disqualification.** No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- **6. Power to relax.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **7. Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix	Whether selection or non- selection post.	Age – limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi- Tasking Staff.	29* (2022) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group-C, Non-Gazetted, Non-ministerial.	Level-1	Not applicable.	Between 18 to 27 years of age (Relaxable for Government servants in accordance with instructions or orders issued by the Central Government) Note 1: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Union Territory of Ladakh Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep Note 2: The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	•
(7)	(8)	(9)
10th class pass or equivalent from a recognised Board.	Not applicable.	Two years for direct recruits.

Method of recruitment	In case of recruitment by
Whether by direct recruitment or by promotion or by	promotion/deputation/absorption, grades from
deputation/absorption and percentage of the vacancies to	which promotion or deputation or absorption to be
be filled by various methods.	made.
(10)	(11)
By direct recruitment.	Not applicable.
Note: Vacancy caused by incumbent being away on	
deputation or long illness or study leave or under other	
circumstances for a duration of one year or more may be filled	

on deputation basis from officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administrations,
(a) (i) holding analogous post on regular basis in parent cadre or department; and

(b)possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).

Note1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central government shall ordinarily, not exceed three years.

Note2: The maximum age-limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

_	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation), consisting of: - (i) Director or Deputy Secretary (Administration), National Commission for Scheduled Tribes -Chairperson (ii) Under Secretary(Establishment), National Commission for Scheduled Tribes- Member (iii) Deputy Director, National Commission for Scheduled Tribes- Member	

[F. No. 20025/35/2021-NCST] ARVIND MUDGAL, Under Secy.

नई दिल्ली. 1 नवम्बर. 2022

- सा.का.नि. 166.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग में डिस्पैच राइडर (समूह 'ग' पद) के पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए एतद्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-
- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ –** (1) इन नियमों को 'राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग', डिस्पैच राइडर (समूह 'ग' पद) भर्ती नियमावली, 2022' कहा जाएगा।
- (2) ये सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वेतन मैट्रिक्स में वर्गीकरण तथा स्तर (लेवल) उक्त पद की संख्या, तत्संबंधी संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में उनका वर्गीकरण और स्तर वह होगा जो इन नियमों के साथ सलंग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु सीमा तथा अर्हताएं आदि उक्त पद पर भर्ती की पद्धित, आयु सीमा, योग्यताएं (अर्हताएं) और उससे संबंधित अन्य मामले वे होंगे जो उपर्युक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. अयोग्यता (अपात्रता) कोई भी व्यक्ति -
- (क) जिसने ऐसे किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है जिसकी पत्नी/पति जीवित है, अथवा
- (ख) जिसकी पत्नी/पित जीवित है, ने किसी भी व्यक्ति के साथ विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, उपरोक्त पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

बशर्ते कि केन्द्रीय सरकार, यदि संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह वाले अन्य पक्ष के लिए लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के तहत अनुज्ञेय है और उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा करने के अन्य कारण हैं तो किसी व्यक्ति को इस नियम के लागू होने में छूट प्रदान कर सकती है।